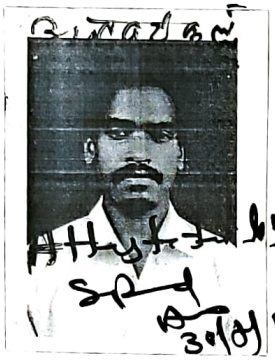

[redacted]
46 W2 P.20
23 E A with the permission by S.D.O. Simdega vide case no 463/14-15 order dated 17.6.15

30.7.15
30.7.15

अलबर्ट कुल्लू
30-7-15

संदीप लकड़ा पिता स्व. रामफूल लकड़ा ग्राम लोंगा टोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा ता. 30/7/2015

§1§ लेख्यकारी:- अलबर्ट कुल्लू पिता स्व0 हाकिम कुल्लू जाति- खड़िया, पेशा- कृषि, निवास ग्राम- गोतरा कुबोटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

...... विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 424 | 2015

17

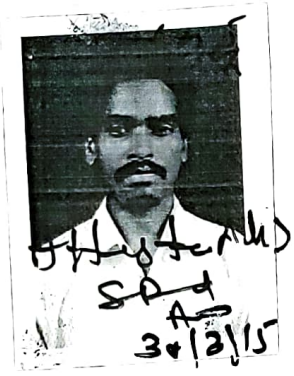

अलबर्ट कुल्लू
30-7-15

30-07-15

अलबर्ट कुल्लू

कुल्लू

30-7-15

30/07/15

जिला अवर निबंधक सिमडेगा
सत्यमेव जयते
जिला-सिमडेगा (झारखण्ड)

(2) लेख्यधारिणीः- श्रीमति अलमा रेणु बड़ा पति श्री मुकुल बड़ा जाति- उराँव, पेशा- कृषि, निवास ग्राम- सोगड़ा मानकीटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्याः- 425/2015

(3) लेख्यप्रकारः- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन वास्ते बिक्री होता है ।

(4) मूल्यः- मोबलिग तीन लाख दस हजार रूपया अंके 3,10,000/- रूपया होता है ।

(5) सम्पति- एराजियात खतियानी रैयती मय दखली अपने हिस्से वो दखल की जमीन मौजा- गोतरा, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 131, (एक सौ एकतीस) प्लॉट नं0 1650 (सोलह सौ पचास) रकबा 4.55 एकड़ में से 0.10 एकड़ (दस डिसमिल) जिसकी चौहद्दीः-

उत्तरः- इसी प्लॉट का शेष अंश नीज बिक्रेता,

दक्षिणः- इसी प्लॉट का शेष अंश नीज बिक्रेता,

पूरब :- इसी प्लॉट का शेष अंश नीज बिक्रेता,

पश्चिमः- इसी प्लॉट का शेष अंश एवं नीज कच्चा रास्ता 10'

मालगुजारी 05 पैसा (पाँच पैसा) अलावे सेस सालाना ।

वर्णित बिक्रीत जमीन आवासीय है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है ।

अलका कुजूर
30-7-15

गवाह - निर्मल एक्का
पिता - स्व. सुदेव एक्का
ग्रा. - [illegible] सिमडेगा
थाना + जिला - सिमडेगा
ता: 30/7/15

§1§ चुँकि मुझ लेखयकारो को मकान बनाने एवं घरेलू खर्च के वास्ते रूपयों की आवश्यकता पड़ी और इस समय बिना जमीन बेचे रूपया मिलने का दूसरा कोई भिन्न उपाय नहीं पाकर मैंने लेखयधारिणी से मेरी जमीन खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने जमीन खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन को स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेखयधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा वो बेची गई जमीन पर कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेखयधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन खतियानी जमीन है खतियान मेरे परदादा बुधरा खड़िया के नाम से नाप दर्ज है । मालगुजारी रसीद लुदु खड़िया वगैरह के नाम से कटता है । बिक्रीत जमीन आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा में मेरे पिताजी को मिला है मेरे पिताजी का देहान्त हो चुका है बिक्रीत जमीन मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त है । बिक्रीत जमीन मेरे नीज हिस्से की जमीन है जिसपर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या वारदेन नहीं है ।

30-7-15

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 463/2014-15 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 17.6.2015 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 403§11§ दिनांक 17.6.2015 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर मकान, शहन, कुँआ, बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार बजरिए अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से वो अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामो सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मैं घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी कैसरे हिन्द, खास महल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजरूआ से सम्बन्धित नहीं है ।

मैं लेखयकारी यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

अलबर्ट कुल्लू
30-7-15

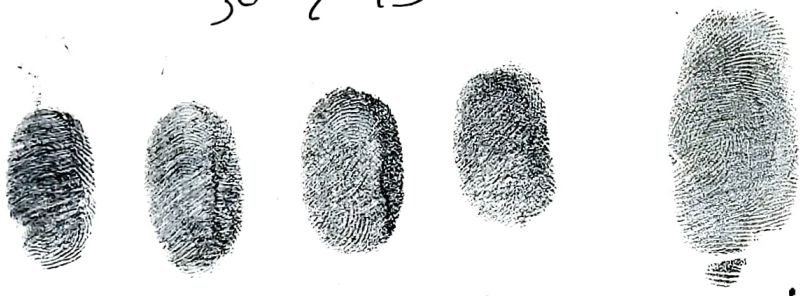

प्रमाणित किया जाता है कि अलबर्ट कुल्लू के बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।

Suresh Prasad
ADV
30/7/15

अलबर्ट कुल्लू
30-7-15

मैं लेखयधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

अलमा रेणु बड़ा
30/7/2015

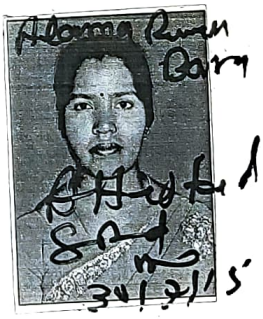

प्रमाणित किया जाता है कि अलमा रेणु बड़ा के बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

Suresh Prasad
ADV
30/7/15

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Suvidh Prasad
Adv
30/7/15

(प्रारूपकर्त्ता)
तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 632 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा के साथ संलग्न है ।

टंकक
मो० महबूब
30.7.2015
मो० महबूब
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

30-7-15